

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गणेश	बनाम	रामकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2026	651 2022	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अप्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 के वारिसान ने दस्तावेजात की सूचि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ मय मूल वाद संख्या 61/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27/08/2025 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/08/2025 को अन्तिम निस्तारण हो चुका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नहीं रह गयी है | अतः अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से खारिज फरमाई जावे |

हमने अप्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 के वारिसान के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ एवं मूल वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27/08/2025 का अवलोकन किया गया | जिससे रेस्पो. की कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है | अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर